# अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
# संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक शैक्ष/2011/एच/8214 भोपाल, 08/11/2011

प्रति

प्राचार्य/संचालक,
एमबीए/एमसीए/पीजीडीएम पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी संस्थाएं
मध्यप्रदेश।

**विषयः–एम.बी.ए./एम.सी.ए./पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रम सत्र 2011–12 अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची प्रस्तुत करने बाबत् (केवल प्रवेश परीक्षा एमईटी/प्रीएमसीए के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों के संबंध में)**

एम.बी.ए., एम.सी.ए. एवं पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा (एमईटी/प्रीएमसीए) के आधार पर प्रथम/द्वितीय/संस्था स्तर की काउंसलिंग चरण में आंवटन उपरान्त, जिन्होंने आंवटित संस्था में ऑनलाईन प्रवेश ले लिया था किन्तु उनकी अर्हकारी परीक्षा का परिणाम अप्राप्त है, उन्हें दिनांक 30/10/2011 तक अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची को आंवटित संस्था में सत्यापित करवाकर अपने अंक ऑनलाइन प्रवेशित संस्था के जी2जी लॉगिन के माध्यम से भरवाने थे। उक्त तिथि को एमबीए/एमसीए/पीजीडीएम पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) के परीक्षा फार्म भरवाने तक बढ़ाया गया था।

सभी संस्थाएं उनके यहां एमईटी/प्रीएमसीए के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों के अर्हकारी परीक्षा के परीक्षाफल के अंक संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) के परीक्षा फार्म भरने की तिथि तक अपने जी2जी लॉगिन आईडी के माध्यम से आवश्यक रूप से इंद्राज करने की कार्यवाही करें। अभ्यर्थियों के परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को अग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा नियमानुसार निर्धारित अंको के साथ उत्तीर्ण कर ली है । यदि विश्वविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रम (एमबीए/एमसीए/पीजीडीएम जो भी लागू हो) के परीक्षा फार्म भरवाने की अंतिम तिथि निकल चुकी है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनका अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है अथवा जो अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं, के परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को अग्रेषित न किया जावे तथा उनके प्रवेश निरस्त कर इस कार्यालय को सूचित करें।

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
**संचालक तकनीकी शिक्षा**
**मध्यप्रदेश**

पृ0क्रमांक शैक्ष/2011/एच/8215 भोपाल, 08/11/2011

प्रतिलिपिः– 1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अध्यक्ष–काउंसिलिंग समिति एवं
**संचालक तकनीकी शिक्षा**
**मध्यप्रदेश**